न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 125/2014 अपील (राजस्व)

श्रीमती किशनकंवर पत्नि स्व. श्री चतरसिंह जी राजपुत, निवासी शोभजी का खेड़ा, पोस्ट सालेराकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रामसिंह चूण्डावत पुत्र स्व. श्री चतरसिंह जी राजपुत, निवासी शोभजी का खेड़ा, पोस्ट सालेराकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती धनकुंवर पुत्री स्व. श्री चतरसिंह जी, पत्नि श्री दलपतसिंह झाला राजपुत, निवासी गांव सरडाया, पोस्ट नेगड़िया, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)
3. श्रीमती नवल कुंवर पुत्री स्व. श्री चतरसिंह जी पत्नि श्री भवानीसिंह चौहान, राजपुत, निवासी गांव मानखण्ड पोस्ट मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर(राज.)
4. श्री दूल्हासिंह चूण्डावत पुत्र स्व. श्री चतरसिंह जी राजपुत, निवासी शोभजी का खेड़ा, पोस्ट सालेराकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती केसर कुंवर पुत्री स्व. श्री चतरसिंह पत्नि श्री रायसिंह चौहान राजपुत, निवासी गांव मानखण्ड पोस्ट मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. स्व. श्रीमती प्रताप कुंवर पुत्री स्व. श्री चतरसिंह जी के बजायः—

अ— भोपालसिंह पुत्र श्री पदमसिंह जी झाला

ब— सुश्री प्रियंका झाला पुत्री श्री पदमसिंह झाला

स— श्री पदमसिंह झाला पुत्र स्व. श्री पहाड़सिंह झाला

सर्वनिवासीयान पुराना उदयपुर बाई पास रोड़, गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

7. श्रीमती सरस कुंवर उर्फ सरोज कुंवर पुत्री स्व. श्री चतरसिंह पत्नि स्व. श्री रामसिंह जी झाला राजपुत, निवासी गांव सरडाया, पोस्ट नेगड़िया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)
8. श्री देवेन्द्र सिंह चूण्डावत पिता स्व. श्री चतरसिंह राजपुत निवासी शोभजी का खेड़ा, पोस्ट सालेराकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री बहादुरसिंह पुत्र स्व. श्री तेजसिंह जी चूण्डावत राजपुत, निवासी शोभजी का खेड़ा, पोस्ट सालेराकलां, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
10. श्री मोहन सिंह चूण्डावत पिता स्व. श्री शिवसिंह जी राजपुत, निवासी शोभजी का खेड़ा, पोस्ट सालेराकलां, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री महेन्द्रसिंह चूण्डावत पिता श्री रूपसिंह राजपूत, निवासी शोभजी का खेड़ा, पोस्ट सालेराकलां, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
12. तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
13. ग्राम पंचायत नामरी, पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र सोनी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री अजय सिंह हाडा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8, 6/3
श्री हुकमसिंह देवड़ा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5, 6/1, 6/2, 7, 9, 10, 11

निर्णय

दिनांकः—22.12.17

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्वर्गीय चतरसिंह पिता नंगसिंह जी राजपुत निवासी शोभजी का खेड़ा के खाते में मौजा शोभ जी का खेड़ा के खाता संख्या 56, 06, 05 एवं 09 में भूमि मय चाह के दर्ज थी। स्वर्गीय चतरसिंह जी का दिनांक 12.08.06 ई. को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उक्त भूमि स्वर्गीय चतरसिंह जी के निधन के पश्चात् अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 तक राजस्व रेकार्ड में सन् 2009 मई तक बहैसियत वारिसान दर्ज थी। परन्तु उक्त भूमि पर अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 1, 4, 8 का ही आधिपत्य था। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5, 6, 7 ने कभी भी उक्त सम्पत्ति का कोई हक नहीं मांगा। नाही कोई चाह रही। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 ने अपने हक में हकत्याग पत्र करवाया जो बिना अधिकार के हैं। कृषि भूमि को हकत्याग करने का अधिकार टिनेन्ट को नहीं होता हैं। केवल सम्पत्ति का मालिक ही अपने अधिकारो का हकत्याग कर सकता हैं। हकत्याग पत्र ना तो हस्तान्तरण है ना ही उत्तराधिकार है नाही सक्षम न्यायालय के आदेश की परिभाषा में आता हैं। ऐसे हकत्याग से कोई नामान्तरकरण नहीं हो सकता हैं तथा उसके आधार पर जो विक्रय किया गया है वह भी नाजायज होकर एबईनिश्योवोईड हैं। कथित हकत्याग पत्र 4 खातेदारो द्वारा सिर्फ दो खातेदारो के पक्ष में ही निष्पादित किया गया हैं। जबकि हकत्याग शेष समस्त खातेदारो/मालिक के पक्ष में ही हो सकता हैं। अर्थात हकत्याग सिर्फ सम्पत्ति में होता है नाकि किसी पक्षकार के हक में होता हैं। ऐसा हकत्याग पत्र नहीं होकर विक्रय पत्र की श्रेणी में आता हैं। जिसे बाजार मुल्य पर निर्धारित स्टाम्प पत्र पर निष्पादित होना चाहिये। कथित हकत्यागपत्र रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5, 7 से धाखे व दबाव डालकर करवाया गया। उक्त हकत्याग पत्र निष्पादित दिनांक 26.02.2010 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.10.10 को आयोजित ग्राम पंचायत/प्रशासन गॉवो के संग अभियान में स्वीकृत करवा लिया। अपीलान्ट को कथित आदेश का ज्ञान दिनांक 06.02.13 को हुआ जब खाते की नकल प्रार्थीया निकलवाने गयी तो कहा कि जमीन रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 के खाते से हटकर श्री रामसिंह, रेस्पोडेंट संख्या 1 तथा श्री देवेन्द्रसिंह रेस्पोडेंट संख्या 8 के खाते में बढोतरी होते हुए आ चुकी है तथा उसके बाद जमीन देवेन्द्रसिंह ने बहादुरसिंह को विक्रय कर दिया तथा बहादुरसिंह ने पुनः मोहनसिंह को विक्रय कर दी हैं। तथा देवेन्द्रसिंह ने महेन्द्रसिंह को भी नामान्तरकरण कर दी हैं। यह सभी नामान्तरकरण भी आनन फानन में एक ही दिन में दिनांक 23.01.13 को कर दिये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत नामरी के नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक

04.10.10 ई. को स्वीकृत करने का आदेश अपास्त किया जाकर इससे पूर्व के खातेदारो के नाम खाता अनुसार दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावें तथा इसके पश्चावर्ती हुए नामान्तरकरण को भी अपास्त करने के आदेश फरमाये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 का अपने पैतृक संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि में अपना अपना हक व हिस्सा दर्ज था तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 के साथ अच्छे मधुर संबंध थे व स्नेह था। तथा वही दोनो रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 की आवभगत करते थे तथा हर छोटे बड़े सामाजिक अवसर पर आते जाते थे। जिससे उनके प्रति विशेष स्नेह एवं प्रेम होना स्वाभाविक था। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 अपने हक हिस्से की पैतृक कृषि भूमि को समय समय पर गॉव आकर देखभाल करना एवं सम्भालने में व्यवधान उत्पन्न होता था। इस भूमि की देखभाल भी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 ही करते थे। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 द्वारा पूर्ण सोच समझ व समझदारी से विधिवत ढंग से प्रक्रिया अनुसार स्मरण पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 04.10.10 तस्दीक करवाया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील मिथ्या तथा बिना किसी आधार पर की गई हैं। वादग्रस्त भूमि से संबंधित अन्य राजस्व वाद माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर मावली के समक्ष लम्बित हैं। जिसमें सभी पक्षकारान के हित अधिकारो का निर्णय होना हैं। संबंधित सम्पूर्ण जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से रही हैं तथा राजस्व वाद के लम्बित रहते केवल मात्र सरसरी कार्यवाही के आधार पर अपीलान्ट न्यायालय को गुमराह कर अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहता है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं।

रेस्पोडेंट संख्या 8 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलान्ट वादग्रस्त नामान्तरकरण से प्रभावित भी नहीं हैं। नाही नामान्तरकरण में पक्षकार हैं। नाही अपील प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त की हैं। नामान्तरकरण में रेस्पोडेंट संख्या 4, 6, 9 से 13 तक का ना तो नाम दर्ज है नाही वे नामान्तरकरण के पक्षकार ही हैं। ऐसी स्थिति में बेवजह विधिविपरीत ढंग से परेशान करने हेतु पक्षकार बनाया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष विधिविपरीत एवं त्रुटीपूर्ण है जिसमें घोषणा की दाद चाही गई हैं। वास्तविकता यह है कि स्वर्गीय चतरसिंह जी के निधन होने के पश्चात् पैतृक कृषि भूमि का नामान्तरकरण उनके विधिक वारीसान अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 तक के नाम दर्ज हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5, 6 व 7 अपने अपने परिवारजन के माध्यम से भूमि की व्यवस्था

करते थे एवं भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि में कानुनन मिले अधिकार से अपीलान्ट वंचित नहीं कर सकती हैं। रेस्पोडेंट संख्या 4 के बहकावे व दबाव में आकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। स्वर्गीय चतरसिंह जी ने अपने जीवनकाल में सभी पुत्र पुत्रीयो को बराबर समझा व खुब लाड़ प्यार दिया तथा उन्होने स्वयं ने भी यह निर्णय किया कि तीनो पुत्रो अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 व 8 के लिये नया मकान बना देने के पश्चात् कृषि भूमि सहित पूरी सम्पत्ति का बंटवाड़ा कर दिया जावें। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5, 6 व 7 को भी बराबर हिस्सा मिले। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 ने अपना अपने हक हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 के पक्ष में नियमानुसार समर्पित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट सहित पुरे गॉव को हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 ने कोई बदनियती नहीं रखी नाही काई छल कपट ही रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 के साथ किया। अतः अपील अपीलान्ट प्रथम दृष्ट्या खारीज योग्य होने से खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्वर्गीय चतरसिंह जी ने 1986 में तमाम कृषि आराजीयात का मौखिक रूप से रेस्पोडेंट उत्तरदाता की अनुपस्थिति में पारिवारिक समझौते के तहत अपने तीनो पुत्रो तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 रामसिंह रेस्पोडेंट संख्या 4 दुल्हासिंह एवं रेस्पोडेंट संख्या 8 देवेन्द्रसिंह के बीच मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन कर तीनो पुत्रो को मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज कर दिया। इनके पॉचो पुत्रीयो का विवाह वर्ष 1982 से पूर्व हो चुका था। तब से ही वे अपने अपने ससुराल में रह रही हैं। पुत्रियो का दखल स्वर्गीय चतरसिंह जी की कृषि आराजीयातो पर कभी नहीं रहा ना उनके जीवनकाल में नाही बाद में। पारिवारीक समझौता विभाजन के बाद दिनांक 09.09.90 ई. को बड़े भाई रामसिंह ने अपनी कलमी एक चौसठ पेज की कॉपी में लिखकर अपने पास रख ली थी तथा उक्त लिखत पर स्वीकृति स्वरूप स्वर्गीय चतरसिंह, रामसिंह जी उत्तरदाता एवं देवेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर हैं। देवेन्द्रसिंह द्वारा कूटनितीक दबाव बनाकर रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 से विधि विरूद्ध हकत्याग विलेख लिखवाकर उसका पंजीयन करवा दिया गया। अपीलार्थी की अपील को रेस्पोडेंट संख्या 4 दुल्हासिंह स्वीकार करता है एंव विशेष कथन में निवेदन किया कि हकत्याग कानुन में स्वीकार नहीं है इस कारण हक त्याग के आधार पर जो नामान्तरकरण हुआ है एवं पश्चावर्ती जो नामान्तरकरण हुए है वे स्वीकार नहीं हैं। अतः प्रश्नगत दोनो नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि स्वर्गीय चतरसिंह जी के सम्पत्ति में आधिपत्य अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 व 8 का ही हैं। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5, 6 व 7 ने स्वर्गीय चतरसिंह जी की सम्पत्ति में से कभी भी कोई हक नहीं मांगा। इसके उपरान्त भी विरासत के आधार पर

खोले गये नामान्तरकरण में रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5, 6 व 7 का नाम आ जाने से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 द्वारा धोखा व दबाव डलवाकर रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5, 7 से हकत्याग पत्र लिखवाकर अपने पक्ष में दिनांक 26.02.10 को निष्पादित करवा दिया गया जबकि उनका कभी भी स्वर्गीय चतरसिंह जी की भूमि पर कब्जा नहीं रहा। इनकी शादिया तो स्वर्गीय चतरसिंह जी के जीवनकाल में ही सन् 1982 के पूर्व ही करवा दी गई थी। ना कभी इनकी ईच्छा रही की अपने पिता की कृषि भूमि में कोई हक मांगे। स्वर्गीय चतरसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी पुत्रीयो को जो देना था वो दे दिया गया। परन्तु दबाव डलवाकर हकत्याग रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 द्वारा अपने पक्ष में करवा दिया गया एवं हकत्यागपत्र के आधार पर दिनांक 04.10.10 को आयोजित ग्राम पंचायत/ प्रशासन गॉवो के संग अभियान में नामान्तरकरण की कार्यवाही भी अपने पक्ष में करवा दी गई। जबकि अपीलान्ट स्वयं स्वर्गीय चतरसिंह जी की सम्पत्ति की हितबद्ध पक्षकारान हैं। उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही के समय नाही तो मुझसे पुछा गया नाही मुझे कोई जानकारी दी गई। ऐसा हकत्याग पत्र विक्रय की श्रेणी में आता है जिस पर प्रोपर स्टाम्प शुल्क भी नहीं लिया गया। प्रोपर स्टाम्प शुल्क नहीं होने से एक्ज्यीक्यूटेबल नहीं होने के कारण इसके आधार पर नामान्तरकरण नहीं किया जा सकता हैं। इसलिये इससे खोला गया नामान्तरकरण काबिल निरस्त के हैं। ऐसे नामान्तरकरण को नहीं देखा जा सकता हैं। इसके अलावा निवेदन किया कि इस नामान्तरकरण का सर्वप्रथम अपीलान्ट को ज्ञान दिनांक 06.02.13 को हुआ। जब खाते की नकल अपीलान्ट निकलवाने गयी तो ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 की भूमि हटकर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 के खाते में आ चुकी हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 04.10.10 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर इसके पश्चावर्ती खोले गये समस्त नामान्तरकरण निरस्त कराना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5, 6 व 7 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकारान नहीं है एवं अपील पेश करने की पात्रता नहीं रखती हैं। अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु न्यायालय में धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। नाही हितबद्ध पक्षकार हैं। रस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 काश्तकार होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 एक ही परिवार के सदस्य होकर सहकाश्तकार हैं। अपीलीय नामान्तरकरण पंजीयनशुदा हक त्याग के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया हैं। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 को अपनी कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्से को सहखातेदार के पक्ष में हक त्याग का पूर्ण अधिकार हैं। हक त्याग किये जाने हेतु अपीलान्ट अथवा अन्य किसी से स्वीकृति लिये जाने की आवश्यकता नहीं थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 के सगे भाई हैं। इन भाईयो का हम बहनो के प्रति काफी स्नेह एवं प्रेम हैं। जिस कारण से हमारे

द्वारा भाईयो के पक्ष में हक त्याग किया हैं। जो गलत व अनुचित नहीं हैं। हक त्याग कानुनी प्रावधान हैं। उसी के तहत कार्यवाही हुई हैं। जो कानुनन सही हैं। वैसे भी अपीलान्ट द्वारा अपील में दर्ज वादग्रस्त भूमि से संबंधित न्यायालय उपजिला कलक्टर मावली के यहॉ बॅटवाड़े व घोषणा का दावा कर रखा हैं। जिसके प्रकरण संख्या 345/12 हैं। जो विचाराधीन हैं। राजस्व वाद के लम्बित रहते केवल मात्र सरसरी कार्यवाही के आधार पर अपीलान्ट न्यायालय को गुमराह कर अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहता है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती हैं। दिनांक 04.10.10 को प्रमाणित नामान्तरकरण की अपील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.02.13 को अति विलम्ब से प्रस्तुत कि गई हैं। जो मियाद के बिन्दु पर ही खारीज हो जानी चाहिये। अपीलार्थी को हक त्याग की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। परन्तु जानबुझकर जानकारी प्रथम बार दिनांक 06.02.13 को होना बताया गया हैं। जो गलत हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें। अपनी बहस की ताईद में आर आर टी 2012 (1) पेज 374, आर बी जे 2008 पेज 406 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि विपरीत एवं त्रुटीपूर्ण हैं। जबकि अपीलान्ट ने उक्त अपील में घोषणा की दाद चाही है जो अपीलेट न्यायालय द्वारा दिया जाना संभव नहीं है नाही न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 4 के बहकावे में आकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। वस्तुस्थिति यह है कि स्वर्गीय चतरसिंह जी के रेस्पोडेंट 1 से 8 तक पुत्र पुत्रीयॉ हैं। उनके स्वर्गवास के बाद उनके समस्त सम्पत्ति में अपीलान्ट सहीत सभी रेस्पोडेंट का हक व अधिकार कानुनन स्वतः ही प्राप्त हो गया। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 द्वारा किया गया हक त्याग उनके स्वेच्छा से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 को किया गया हैं। उन पर किसी का कोई दबाव नहीं रहा हैं। नाही उन्हे हक त्याग के लिये किसी के द्वारा बाध्य किया गया हैं। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 ने अपना अपने हक हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 के पक्ष में विधिवत ढंग से समर्पित कर दिया हैं जिसकी जानकारी अपीलान्ट सहित पुरे गॉव को हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 8 ने कोई बदनियती नहीं रखी। नाही कोई छल कपट ही रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 के साथ किया हैं। अपीलान्ट द्वारा पूर्णतया मिथ्या आधारो पर बिना किसी विधिक आधार के रेस्पोडेंट संख्या 4 के साथ दुरभिसंधी करके रेस्पोडेंट संख्या 4 के बहकावे में आकर अपील प्रस्तुत की है जो प्रथम दृष्ट्या खारीज योग्य हैं।

रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि स्वर्गीय चतरसिंह जी की पॉचो पुत्रियो का विवाह वर्ष 1982 से पूर्व हो चुका था तब से ही वे अपने ससुराल में रह रही हैं। पुत्रियो का दखल स्वर्गीय चतरसिंह जी की कृषि आराजीयात पर कभी नहीं रहा हैं। ना तो स्वर्गीय चतरसिंह जी के जीवनकाल में और ना ही उनके निधन के बाद स्वर्गीय चतरसिंह जी द्वारा अपने

जीवनकाल में ही उनके तीनो पुत्रो के बीच में पारिवारीक समझौते के तहत कृषि भूमि का बॅटवाड़ा कर मौके पर भूमि सभी को सिपुर्द कर दी गई थी। जिस दृष्टि से रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 का मौके पर कभी भी कब्जा नहीं रहा मात्र उनकी मृत्यु के बाद में विरासत से खोले गये नामान्तरकरण में उनका नाम आने से रस्पोडेंट संख्या 1 व 8 द्वारा षड्यंत्रपुर्वक रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 पर दबाव बनाकर विधिविरूद्ध हकत्याग विलेख लिखवाकर उसका पंजीयन करवाया गया जिससे प्रश्नगत नामान्तरकरण अमल में लाया गया। हकत्याग के आधार पर ही देवेन्द्रसिंह व रामसिंह का अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं। हकत्याग कानुन में स्वीकार नहीं हैं। इस कारण हकत्याग के आधार पर जो नामान्तरकरण हुआ है एवं तत्पश्चात् नामान्तरकरण हुए है वह स्वीकार नहीं हैं। अतः प्रश्नगत दोनो नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जावें। अपनी बहस की ताईद में आर आर डी 2008 पेज 474, आर बी जे (18) 2011 पेज 225, ए आई आर 1994 एससी पेज 1653, एआईआर 1986, एआईआर 1976 एससी पेज 807 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 तक सभी एक ही परिवार के सदस्य होकर अपीलार्थी रेस्पोडेंटगणो की मॉ हैं। शेष सभी भाई बहन हैं। स्वर्गीय चतरसिंह जी परिवार के मुल पुरूष थे। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 तक उनके पुत्र पुत्रियॉ हैं। स्वर्गीय चतरसिंह जी के स्वर्गवास के बाद उनके नाम दर्ज कृषि भूमि जरिये विरासत से उनके वारीसानो के नाम पर दर्ज हुई। तत्पश्चात् उनके वारीसान रेस्पोडेंट संख्या 2 धनकुॅवर, 3 नवलकुॅवर, 5 केसरकुॅवर, 7 सरसकुॅवर द्वारा अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का हकत्याग अपने भाई रेस्पोडेंट संख्या 1 रामसिंह एवं रेस्पोडेंट संख्या 8 देवेन्द्रसिंह के हक में निष्पादित कर दिया गया। जिसके आधार पर अपीलीय नामान्तरकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया हैं।

बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत हैं कि रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5 व 7 स्वर्गीय चतरसिंह जी के विधिक वारीसान थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हुए। किसी भी खातेदार काश्तकार को जो भी अधिकार होते है वे सारे अधिकार उनको थे। उनके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 रामसिंह एवं रेस्पोडेंट संख्या 8 देवेन्द्रसिंह के पक्ष में निष्पादित हकत्याग करने का उन्हें पुरा अधिकार था। उक्त हकत्याग बिना किसी दबाव के किया गया हैं। उन्होने अपने हक हिस्से का ही हकत्याग किया हैं। जिसका उन्हे कानुनन अधिकार हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीयनशुदा हकत्याग विलेख के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण सही खोला हैं। ऐसे नामान्तरकरण को अवैध नहीं कहा जा सकता है नाही पंजीकृत विलेख के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को एबईनिश्योवोईड कहा जा सकता हैं।

यदि अपीलान्ट को हकत्याग में कोई कानुनी त्रुटी होना प्रतित हो रहा हो तो सक्षम न्यायालय में हकत्याग को खारीज करावें। ताकि उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण स्वतः ही खारीज हो जावेगा। रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा जो आपत्ति की जा रही है वह आपत्तियॉ भी आधारहीन हैं। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में एक दावा भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में कर रखा है जो विचाराधीन हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 04.10.10 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत हकत्याग विलेख के आधार पर खोला गया है जिसे खारीज किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर